

No. A/2-1/2007-WII (Vol. IX: 2015-16)

दिनांक 30 जून 2015

प्रेषित

श्री रजत कुमार
12/3 भण्डारी बाग
देहरादून। उत्तराखण्ड

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना के संदर्भ में।

संदर्भ: आपका सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र
दिनांक 4.6.2015.

महोदय,

आपके उपरोक्त वर्णित पत्र के माध्यम से वांछित सूचना आपको प्रश्नवार एवं उचित संलग्नकों के माध्यम से 3 पृष्ठों में उपलब्ध कराई जा रही है।

अगर आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपील प्राधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं, जिनका पता निम्नानुसार है—


डॉ० वी.बी. माथुर, निदेशक एवं अपील प्राधिकारी, भारतीय वन्यजीव संस्थान, पो.ओ. बॉक्स 18,
चन्द्रबनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।

धन्यवाद।

भवदीय,

(असीम श्रीवास्तव)
लोक सूचना अधिकारी

संलग्नक: उपरोक्तानुसार (3 पृष्ठ)


30/6/15

१५

भारतीय वन्यजीव संस्थान
चन्द्रबनी, देहरादून

Subject: CPIO Note Dated ०९-०६-२०१५ Regarding RTI Application of Shri Rajat Kumar

S.No.	Question	Reply
1	भारतीय जीव संस्थान के पास कुल कितने एकड़ भूमि है ?	220.38 एकड़
2	भारतीय जीव संस्थान का जो मुख्य कार्यालय चन्द्रबनी रोड देहरादून में बना है, उसका निर्माण एवं जो खाली पड़ा है अर्थात् जहाँ आपके विभाग द्वारा खाली स्थान पर पीलर आदि लगा रखे हैं, कुल कितने एकड़ भूमि है ?	भूमि उपयोग: <ol style="list-style-type: none"> बिलिंग एवं सड़क—13.13 एकड़ खेल का मैदान — 18.43 एकड़ रिजर्व फोरेस्ट जिसे वन्य प्राणी शोध के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है—188.82 एकड़ कुल 220.38 एकड़
3-	भारतीय जीव संस्थान द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के निवास हेतु जो भवन आदि कार्य हैं, रास्ते सहित कितने एकड़ में निर्मित हैं ?	
4	भारतीय जीव संस्थान देहरादून को उक्त भूमि राजकीय गजट दिनांक 15.10.1991 के अनुसार मिली है। यदि हाँ तो गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति प्रदान करने का कष्ट करें।	गजट नोटिफिकेशन दिनांक 15.10.1991 द्वारा कलैक्टर देहरादून द्वारा 20.38 एकड़ भूमि एक्वायर करके संस्थान को दी गयी है। नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है।
5	उक्त भूमि का गजट नोटिफिकेशन से पहले यह भूमि क्या दून हाउसिंग प्राठो लिंग के नाम थी ?	जैसा कि ऊपर 4 पर दर्शाया गया है। इस भूमि का अधिग्रहण कलैक्टर देहरादून के द्वारा किया गया था तथा आपका प्रश्न भूमि की पूर्व मालिकान से संबंधित है, अतः आपको यह जानकारी उत्तराखण्ड राज्य के जिला देहरादून के ऐवैन्यू अभिलेख से मिलने की संभावना है। कृपया उचित कार्यालय से सूचना प्राप्त करने का कष्ट करें।
6	क्या आप उक्त भूमि को खसरा नम्बरों के हिसाब से पैमाइश तहसील देहरादून द्वारा कराने को तैयार हैं ?	आपका प्रश्न सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं पड़ता है, क्योंकि इच्छा या अनिच्छा सूचना की परिमाण में नहीं आती।



१८४

रजिस्टर नं० ५६१, डल्लू/एन, पी० ५६१

लाइसेन्स नं० ३४८७/पी०-४१

लाइसेन्स टू पोस्ट-एंट कन्सेन्ट्रेशनल हैट



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ब)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 15 अक्टूबर, 1991

आश्विन 23, 1913 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

वन अनुभाग—2

संख्या 3487/14-2—86-1987

लखनऊ, 8 अक्टूबर, 1991

अधिसूचना

प्राप्ति—490

भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/1/55-जुडिशियल (1), दिनांक 14 मई, 1955 के साथ पठित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन, अर्थात् जिला देहरादून में भारतीय दंत्य जीव संस्थान के कैम्पस के निर्माण के लिए आवश्यकता है।

2—कि राज्यपाल की गय है कि उत्तर प्रदेशियन की धारा 17 की उपधारा (1) के उपनियंत्रण उत्तर भूमि पर लागू होते हैं, क्योंकि उत्तर भूमि की, जिला देहरादून में भारतीय दंत्य जीव संस्थान के कैम्पस के निर्माण के लिए आत्मिक आवश्यकता है और इस आत्मिकता की दृष्टि से, यह भी आवश्यक है कि उत्तर प्रदेशियम की धारा 5-क के अधीन जैव करने में सम्मानित विलम्ब को विवरित किया जाय, अतएव राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेशियम की धारा 5-क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

टिप्पणी—अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूची अन्वेषी अनुवाद के साथ नीचे दी गयी है।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3487/XIV-2—86-1987, dated Octc ber 8, 1991 for general information:

No. 3487/XIV-2—86-1987

Dated Lucknow, October 8, 1991

UNDER sub-section (1) of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification no. 20/1/55-14, dated May 14, 1955, the Governor is pleased to notify for general information that

the land mentioned in the Schedule below is needed for a public purpose namely for construction of Wild life Institute of India Campus in district Dehradun.

2. THE Governor, being of the opinion that the provisions of sub-section (1) of section 17 of the said Act are applicable to the said land inasmuch as the said land is urgently required for construction of Wildlife Institute of India Campus in district Dehradun and that in view of the pressing urgency it is as well necessary to eliminate the delay likely to be caused by an inquiry under section 5-A of the said Act, the Governor is further pleased to direct under sub-section (4) of section 17 of the said Act that the provisions of section 5-A of the said Act shall not apply.

अनुसूची
SCHEDULE

जिला District	परगना Pargana	मौजा Village	गांठी संख्या Plot no.	लगभग क्षेत्रफल एकड़ में Approximate area in acres
देहरादून Dehradun	केन्द्रीय दून Kendriya doon	आरकेडिया ग्रान्ट Arkedia Grant	2070	1.37
			2072	3.11
			2073	0.41
			2074	0.08
			2075	0.16
			2076	0.38
			2077	1.42
			2078	0.03
			2079	0.05
			2080	0.75
			2081	0.60
			2082	0.52
			2083	0.11
			2084	1.24
			2085	0.81
			2086	0.49
			2087	0.60
			2088	0.54
			2089	0.05
			2090	1.93
			2091	0.09
			2092	0.12
			2093	1.07
			2094	0.36
			2095	0.83
			2096	3.26
			योग Total	20.38 एकड़ Acres

किस प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—भारतीय वन्य जीव संस्थान के कैम्पस के निर्माण हेतु।

For what purpose required—For construction of Wild life Institute of India campus in district Dehradun.

टिप्पणी—उच्च भूमि का स्थल नवशा (साइट प्लान) देहरादून के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

NOTE:- A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Dehradun.

आत्मा से.

नीरो यादव,

सचिव

By order,

BRA YAI